विविध–79 / 2025

09.05.2026 उभयपक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। आवेदिका प्रतिमा देवी एवं विपक्षी रविन्द्र प्रसाद के बीच यह तय हुआ है कि विपक्षी रविन्द्र प्रसाद के बीच यह तय हुआ है कि विपक्षी रविन्द्र प्रसाद दिनांक 20.022026 से आवेदिका प्रतिमा देवी को प्रतिमाह 3300 / – (रू. तीन हजार तीन सौ) भरण–पोषण भत्ता का भुगतान करेंगे। यह भी तयह हुआ है कि विपक्षी पूर्व के भी बकाया राशि का भुगतान यथाशीघ्र करेंगे। यदि विपक्षी उपरोक्त शर्तों का पालन नही करने करेंगे तो आवेदिका भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय मे आवेदन कर सकती है। अतः सुलह–समझौते के आधार पर वाद का निष्पादन किया जाता है।

पीठासीन पदाधिकारी

भरण–पोषण–69 / 2024

13.09.2025 आवेदिका खुशबु पाण्डेय राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के समक्ष उपस्थित है। उनका निवेदन है कि उन्होंने अपने पति सुमित कुमार पाण्डेय उर्फ सुमित पाण्डेय के साथ मुकदमा सुलह कर लिया है। उन्हें एकमुश्त भरण–पोषण के रूप मे एक लाख पचहत्तर हजार रूपए प्राप्त हो चुके हैं। शेष पचास हजार रूपए परस्पर सहमति से प्रस्तुत विवाह–विच्छेद के मुकदमे मे गवाही के दिन पति द्वारा भुगतान किए जाने की बात तय हुई है। विपक्षी सुमित कुमार पाण्डेय द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि शेष पचास हजार रूपए का भुगतान परस्पर सहमति से विवाह–विच्छेद वाले मुकदमा मे खुशबु पाण्डेय के गवाही के दिन भुगतान कर देंगे। इसी शर्त के साथ सुलह के आधार पर वर्तमान भरण–पोषण वाद का निष्पादन किया जाता है।

पीठासीन पदाधिकारी